एनविस न्यूज लेटर

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

वर्ष - 2014 अंक-16 हमारा संकल्प-स्वच्छ पर्यावरण नवम्बर, 2014

My Clean INDIA

Prosperity & beauty

आप स्वच्छ
पर्यावरण स्वच्छ

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

संपादकीय

आइए स्वच्छता का संकल्प लें

मंडल के 16वे न्यूज लेटर के प्रकाशन पर मुझे हर्ष हो रहा है। न्यूज लेटर के 15वें अंक को जो सराहना प्राप्त हुई है, उससे हम बेहद उत्साहित हैं। पिछले आठ-नौ माह में मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सार्थक व कठोर कदम उठाये गये हैं। मंडल के प्रयासों का ही फल है कि कोरबा एक्शन प्लान का क्रियान्वयन ठीक ढंग से प्रारंभ हुआ, फलस्वरूप कोरबा में प्रदूषण की स्थिति में सुधार के दृष्टिगत भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नये उद्योगों की स्थापना पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। राज्य में प्रदूषण की स्थिति पर सतत निगरानी के लिए राज्य के बड़े शहरों में 28 कंटीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। खतरनाक अपशिष्टों/अन्य अपशिष्टों का सीमेंट उद्योगों के किल्न में को-प्रोसेसिंग के लिए 03 उद्योगों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त की गई है। मंडल द्वारा 515 हॉस्पिटल/नर्सिंग होम को प्राधिकार जारी कर जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार/अपवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है। ऑन लाईन कन्सेन्ट मैनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत् 900 उद्योगों का पंजीयन कर ऑन लाईन सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। जन जागरूकता के क्षेत्र में भी मंडल ने नये आयाम स्थापित किये हैं। 05 जून 2014 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल द्वारा 05 दिवसीय आयोजन किया गया, आयोजन में बच्चों की विभिन्न प्रतियोगितायें, प्रदर्शिनी, खुला-मंच कार्यक्रम, कार्यशाला एवं परिसंवाद शामिल है, का आयोजन किया गया। इसी प्रकार 27, 28 एवं 29 जून को राज्य स्तरीय इको बाल मेले का आयोजन रायपुर में किया गया जिसमें प्रदेश के कोने कोने से आये हुए लगभग 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 16 सितंबर 2014 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर मंडल द्वारा विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में भाषण, पोस्टर एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समापन समारोह में नीरी, नागपुर के प्रिंसिपल सीनियर साइंटिस्ट डॉ. एस.के. गोयल का व्याख्यान रखा गया। उक्त आयोजनों का उद्देश्य यह कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लायी जाए। आइए हम, आप और सब मिलकर अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। मुझे न्यूज लेटर के इस अंक पर आपकी प्रतिकियाओं का इंतजार रहेगा।

देवेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

अध्यक्ष की कलम से

मंडल के न्यूज लेटर का 16वां अंक प्रकाशित होने जा रहा है। इस अवसर पर मै मंडल की विभिन्न योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी आपको देना चाहूंगा। राज्य में स्थापित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को अब उद्योगों की स्थापना एवं संचालन सम्मति हेतु मंडल के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योकि बोर्ड की 31वीं बैठक में हमने यह निर्णय लिया है कि 01 नवम्बर से उद्योगों की स्थापना एवं संचालन सम्मति के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। इससे मंडल के कार्यो में न केवल तेजी आयेगी बल्कि मंडल के कार्यकलाप और अधिक पारदर्शी हो सकेगें। मंडल द्वारा सभी बडे औद्योगिक शहरों में कंटीन्यूअस एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य है, जिसमें सहज दृश्य आकार के एल.ई.डी. स्क्रीन लगाये जायेंगे, जिससे आम लोगों को भी प्रदूषण की मात्रा की जानकारी हो सके। गणेश व दुर्गा पूजा के अवसर पर बडी संख्या में मूर्तियों की स्थापना एवं उनके विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण को देखते हुए इस पर भी सघन जन जागरूकता अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी है। इसमें हमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को जिसमें विशेष रूप से बच्चे व युवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। स्वयं सेवी संस्थाओं एवं ईको क्लब को भी इस अभियान में शामिल करना चहिए। मंडल में अमले की कमी को देखते हुए शासन द्वारा मंडल का नया सेटअप मंजूर किया गया है, जिससे मंडल के अमले में वृद्धि हो सकेगी। मंडल का सेवा भर्ती विनियम भी अतिशीघ्र पारित होने के पश्चात मंडल में तकनीकी व वैज्ञानिक अमले की भर्ती का रास्ता साफ हो सकेगा। मंडल के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने राज्य बोर्ड की बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंडल में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा ना होने के कारण मंडल के कर्मचारियों को दी जा रही मेडिकल राशि को दुगुना कर दिया गया है। इसी प्रकार कर्मचारियों के वाहन व परिवहन भत्ते में भी वृद्धि की गयी है ताकि वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में भी कार्यालयीन कार्य प्रभावित न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के प्रयासों से मंडल नये नये कार्यों को करता हुआ पर्यावरण संरक्षण के नये आयामों को छू सकेगा।

एन. बैजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

नए उद्योगों की स्थापना व संचालन सम्मति हेतु अब केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार्य

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 31वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब 01 नवम्बर, 2014 से उद्योगों की स्थापना व संचालन सम्मति के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। मंडल के अध्यक्ष श्री एन. बैजेन्द्र कुमार ने बैठक में सदस्यों को अवगत कराया कि इससे मंडल के कार्यों में न केवल तेजी आयेगी, समय की बचत होगी बल्कि मंडल के कार्यकलाप और अधिक पारदर्शी हो सकेंगे। श्री बैजेन्द्र कुमार ने स्पश्ट किया कि अब उद्योगपतियों को उद्योगों की स्थापना एवं उसकी संचालन सम्मति हेतु पर्यावरण मंडल के दफ्तर में बार-बार आने-जाने की जरूरत नहीं है। उनकी सुविधा के लिए ही मंडल ने यह अहम फैसला लिया है। मंडल की बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि मंडल द्वारा कन्टीन्यूअस एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों की और अधिक स्थापना किया जाये तथा इनमें सहज दृश्य आकार का एल.ई.डी. स्क्रीन लगाया जाये, जिससे कि आम लोगों को भी प्रदूषाण की मात्रा की जानकारी हो सके एवं वे इस संबंध में जागरूक हो सके। बोर्ड बैठक में मूर्ति विसर्जन पर भी चर्चा की गई एवं इस पर जन जागरूकता अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में मंडल की महत्वकांक्षी कार्यक्रम नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में गठित ईको क्लब

पर्यावरण मंडल की 31वी बोर्ड बैठक में अनेक फैसले।

स्कूलों पर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 250 सक्रिय ईको क्लब तैयार करायें एवं समय-समय पर इनमें कार्यक्रम आयोजित किये जायें तथा इन्हें प्रोत्साहित भी किया जावे। बैठक में मंडल के सेवा भर्ती विनियम को भी अतिशीघ्र पर्यावरण विभाग से मंजूरी दिलाने का निर्णय लिया गया जिससे कि मंडल का सेवा भर्ती विनियम, 2014 जल्द से जल्द अधिसूचित हो सके एवं मंडल जो कि अमले की कमी से जूझ रहा है, उसके अमले में वृद्धि हो सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंडल के लेखों का न केवल आंतरिक अंकेक्षण अद्यतन स्थिति तक कराया जाये बल्कि सी.ए.जी से भी स्टेट्यूटरी ऑडिटर की नियुक्ति करायी जाये। निर्णय लिया गया कि मंडल में जल एवं वायु सम्मति/नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्रों का निर्धारित शुल्क रू. 500/- कर दिया जाये। अध्यक्ष, श्री एन. बैजेन्द्र कुमार ने पुनः ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ किये जाने की जरूरत बताई। बैठक में मंडल के अधिकारियो /कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में भी व्यापक निर्णय लिये गये। मंडल ने प्रतिपूर्ति की सुविधा न होने के कारण प्रतिमाह प्रदान की जा रही मेडिकल राशि को दोगुना कर दिया गया। इसी प्रकार कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवहन भत्ते एवं वाहन भत्ते में भी वृद्धि की गई, जिससे कि अधिकारी/कर्मचारी स्वयं अपने वाहन से कार्यालयीन कार्य सम्पादित कर सकें एवं वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यालयीन कार्य प्रभावित न हो।

कोरबा में अब और अधिक प्रदूषण स्वीकार नहीं ...एन. बैजेन्द्र कुमार

मंत्रालय, नया रायपुर में कोरबा एक्शन प्लान के तहत विभिन्न उद्योगों एवं संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा बैठक में आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल श्री एन. बैजेन्द्र कुमार ने कड़े तेवर अपनाते हुए कोरबा क्षेत्र के सभी उद्योगों को कड़ी चेतावनी दी कि उद्योग अब प्रदूशण फैलाना बंद करे अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। श्री एन. बैजेन्द्र कुमार ने बैठक में कोरबा क्षेत्र के सभी प्रमुख उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपाय, उनके उन्नयन तथा प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यो एवं प्रस्तावित कार्य योजना की सिलसिलेवार समीक्षा की। बैठक में पर्यावरण मंडल के सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह सहित बालको, एसईसीएल, एन.टी. पी.सी., छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पूर्व एवं पश्चिम एवं नगर पालिक निगम कोरबा के कमिश्नर सहित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री एन. बैजेन्द्र कुमार ने सभी उद्योगों के द्वारा हो रहे उत्सर्जन की जानकारी ली तथा सभी को निर्धारित मानको के अनुरूप उत्सर्जन हेतु आवश्यक व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये। विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित राख के समुचित प्रबंधन एवं उसके अपवहन हेतु उत्पन्न लाईएश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप किये जाने एवं इस संबंध में व्यापक कार्ययोजना बनाये जाने पर भी चर्चा हुई। श्री एन. बैजेन्द्र कुमार ने कहा कि फ्लाईएश के निष्पादन के क्षेत्र में अब ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है। श्री कुमार ने कहा कि बेहतर प्रबंधन के जरिए लाईएश का सतप्रतिशत उपयोग किया जा सकता है। चूंकि ज्यादातर विद्युत परियोजनायें कोयला आधारित हैं, एवं बिजली की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में संयंत्रों द्वारा अधिक से अधिक बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिससे फ्लाईएश का उत्पादन भी बहुत अधिक बढ़ गया है। बंद पड़ी खदानों में राख का भराव एक अच्छा उपयोग है। अतः इस क्षेत्र में उद्योगों को आगे

शेष पृष्ठ 7 पर

पर्यावरण संरक्षण कानून नहीं जन-जागरूकता से संभव-मूणत

कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि माननीय आवास एव पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत

विश्व पर्यावरण दिवस पर संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण

05 जून, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन प्रदेश के आवास एव पर्यावरण मंत्री श्री राजेष मूणत के मुख्य आतिथ्य एवं श्री एन बैजेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर की अध्यक्षता में नवीन विश्राम गृह सिविल लाईस रायपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुखपाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ए.के. सिंह, एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक डॉ. ए.ए. बोऑज सहित मंडल के सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आवास एव पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य कानून से नहीं, केवल जन जागरूकता से ही संभव है। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्टून वॉच द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्टून प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री एन बैजेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल।

विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत।

कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि।

01 जून 2014 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नवीन विश्राम गृह सिविल लाईन्स, रायपुर में स्कूली व महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं की निबंध, पोस्टर एवं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उदघाटन मंडल के सदस्य सचिव, श्री देवेन्द्र सिंह ने किया। "समुद्री जल स्तर ऊँचा न हो अपनी आवाज उठायें" इस विषय पर आयोजित यह प्रतियोगिता तीन आयु समूहों में आयोजित की गई। प्रथम समूह में 12 वर्षतक द्वितीय समूह में 13-16 वर्ष तक एवं तृतीय समूह में 17-21 वर्षतक के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में डॉ. प्रवीण शर्मा, निदेशक, महाकौशाल कला वीथिका, श्री त्रयम्बक शर्मा, सम्पादक कार्टुन वॉच, प्रो. समरेन्द्र सिंह एवं प्रो. एन.बी. सिंह, विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर एवं सुश्री अपेक्षा निनोरिया, राजकुमार कॉलेज, उपस्थित थे।

नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 2000 पर कार्यशाला

विगत 02 जून 2014 को मंडल द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 2000 पर एक कार्यशाला का आयोजन नवीन विश्राम गृह सिविल लाईन्स, रायपुर में आयोजित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन सचिव, आवस एवं पर्यावरण विभाग श्री संजय शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डॉ. रोहित यादव, संचालक नगरीय प्रशासन विभाग ने कहा कि नगरीय निकायों में इस महत्वपूर्ण विषय को प्राथमिकता के क्रम में शामिल करते हुए एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मंडल के सदस्य सचिव, श्री देवेन्द्र सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यशाला के विषय पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में प्रो. समीर वाजपेयी, एनआईटी, रायपुर डॉ. अनीता सावंत, वैज्ञानिक, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुतीकरण किया गया। कार्यशाला में श्री ओमेन्द्र श्रीवास्तव, कन्सल्टेंट एवं लाफार्ज सीमेंट, बलौदाबाजार के प्रतिनिधियों ने भी अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इस कार्यशाला में प्रदेश में सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के लगभग 250 वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

कार्यषाला में विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि श्री संजय षुक्ला, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग

उद्बोधन - कार्यक्रम के अध्यक्ष, डॉ. रोहित यादव, संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग

उद्बोधन - मंडल के सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह।

कार्यशाला का एक दृश्य

महाकौशल कला वीथिका में पर्यावरण पर 02 दिवसीय प्रदर्षनी

प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि श्री संजय शुक्ला, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, सदस्य सचिव, श्री देवेन्द्र सिंह, महाकौशल कला वीथिका के निर्देशक, डॉ. प्रवीण शर्मा

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल द्वारा 02 दिवसीय पर्यावरणीय प्रदर्शनी का आयोजन महाकौशल कला वीथिका रायपुर में 04 एवं 05 जून को आयोजित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, श्री संजय शुक्ला ने किया। इस अवसर पर मंडल के सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, महाकौशल कला वीथिका के निदेशक, डॉ. प्रवीण शर्मा, कार्टून वॉच के श्री त्रयम्बक शर्मा, मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण सहित बडी संख्या में पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री संजय शुक्ला, आवास एवं पर्यावरण विभाग ने कहा कि मंडल का यह आयोजन प्रतिभगियों को प्रोत्साहन देने के लिए है। बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो पोस्टर बनायें है, वे काबिले तारीफ है।

प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्य अतिथि श्री संजय शुक्ला, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, सदस्य सचिव, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री त्रयम्बक शर्मा

स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं का खुलामंच

विगत 05 जून 2014 को दोपहर 02:00 बजे से नवीन विश्राम गृह सिविल लाईन्स, रायपुर में मंडल द्वारा खुलामंच कार्यक्रम का आयोंजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. ए.ए. बोऑज प्रबंधक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता, मंडल के सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने की। विशेषज्ञ के रूप में डॉ. बोऑज के साथ, डॉ. ए.एस.आर.ए.एस. शास्त्री, मौसम वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी, कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर उपस्थित थे। लगभग 125 की संख्या में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाईमेट चेंज पर विशेषज्ञों से अनपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासायें शान्त की। बच्चों ने कई ऐसे प्रश्न पूछे जिन्हें सुनकर विशेषज्ञ भी उनके ज्ञान को देखकर हैरत में पड़ गये।

राज्य स्तरीय पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता

मंडल द्वारा 05 जून 2014 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम "समुद्री जल स्तर ऊँचा न हो अपनी आवाज उठायें" विषय पर राज्य स्तरीय पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता आयेजित की गई विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियों एवं इंटरनेट के माध्यम से पूरे राज्य से प्रविष्टियां 27 मई 2014 तक आमंत्रित की गई थी। प्रविष्टियों से पुरस्कार का चयन 03 आयु वर्गों, प्रथम वर्ग 12 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग 13-16 वर्ष एवं तृतीय वर्ग 17-21 वर्ष रखा गया। पोस्टर प्रतियोगिता में तीनों वर्गो में प्रथम पुरस्कार रू. 2,500/- द्वितीय पुरस्कार रू. 2,000/- तृतीय पुरस्कार रू. 1,500/- एवं दो सांत्वना पुरस्कार रू. 500/- प्रत्येक रखा गया। असी प्रकार स्लोगन प्रतियोगिता में तीनों वर्गो में प्रथम पुरस्कार रू. 1,500/- द्वितीय पुरस्कार रू. 1,000/- तृतीय पुरस्कार रू. 750/- एवं दो सांत्वना पुरस्कार रू. 500/- प्रत्येक रखा गया। विजेताओं को 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया।

वर्ग अ, प्रथम पुरस्कार
कु. साक्षी साहू

चिडिया मुझे हंसाये रे,
बरखा मुझको भाये रे
जग हरा-भरा हो जाये रे,
आओ कुदरत को बचायें रे।।

वर्ग ब, प्रथम पुरस्कार
श्री आयुश बागड़े

हिमालय की बाढ़ में सबकुछ बहते देखा समुद्र की लहरों को उडते हमने देखा, पर्यावरण प्रदूषण से हो रही विनाशलीला विकास की दौड में हिलने लगी आधारशिला।।

वर्ग स, प्रथम पुरस्कार
कु. सुप्रिया श्रीवास्तव

स्तर समुद्री जलका, गर ऊँचा होजाये, बढ़े भयंकर त्रासदी, विश्व देखघबराये, मानवता का फर्ज यही, पर्यावरण बचायें, चेतन करने जन-जन को, अपनी आवाज उठायें।।

16 सितम्बर, 2014 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर अंतर महाविद्यालयीन भाषण एवं पर्यावरणीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के सहयोग से 16 सितम्बर, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर भाषण, पोस्टर एवं पर्यावरणीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 200 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का विषय ओजोन परत की सुरक्षा का अभियान जारी रखें, रखा गया था। पर्यावरणीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पर्यावरण से संबंधित सभी विषय शामिल थे। इन प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण दोपहर 01:00 बजे से आयोजित किया गया है, जिसमें डॉ. एस.के. गोयल, सीनियर प्रिंसिपल, साईंटिस्ट, नीरी, नागपुर प्रमुख विशेषज्ञ वक्ता थे। कार्यक्रम में मंडल के सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रसाद ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

पृष्ठ 3 का शेष....

आना चाहिये। श्री बैजेन्द्र कुमार ने एसईसीएल को निर्देश दिये कि वे अपनी बंद पड़ी खदानें तत्काल उपलब्ध करायें। निष्क्रिय मांईस में रि-क्लेमेशन एवं प्लांटेशन का कार्य किया जाना चाहिये। श्री बैजेन्द्र कुमार ने फ्लाईएश का उपयोग सड़क बनाने के लिए किये जाने पर पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। बैठक में दीपिका, गेवरा, कुसमुण्डा एवं कोरबा एसईसीएल क्षेत्र में कन्टीन्यूअस एम्बीएंट एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना पर भी चर्चा हुई। आयुक्त, नगर निगम कोरबा को कोरबा शहर के लिए सीवेज ट्रीटमेंट पलांट, नगर ठोस अपशिष्ठ का उचित ढंग से प्रबंधन एवं निपटान, कोर परिवहन व्यवस्था, होटल एवं घरेलू प्रयोजन हेतु कोयले के उपयोग में रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि जनवरी 2010 में कोरबा क्षेत्र को क्रिटिकली पॉलुटेड एरिया घोषित करके पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नये उद्योगों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार पर प्रतिबंध लगाया गया था। मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप स्थिति में सुधार को देखते हुए उक्त प्रतिबंध सितम्बर 2013 में हटा लिया गया है। मंडल द्वारा कोरबा क्षेत्र में कम्प्रेंसिव इनवायरमेंटल पॉलुशन इंडेक्स के आंकलन के लिए आईआईटी खड़गपुर से थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का कार्य कराया जा रहा है। जिसकी रिपोर्ट आने पर इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली को भेजा जावेगा। बैठक में इस कार्य में आने वाले खर्च में प्रमुख उद्योगों को सहयोग करने पर चर्चा हुई, जिसमें सभी उद्योगों ने अपनी सहमति प्रदान की।

दिनांक 27, 28 एवं 29 अगस्त 2014 को राज्य स्तरीय ईको

विगत 27, 28 एवं 29 अगस्त, 2014 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राज्य स्तरीय ईको बाल मेले एवं सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब चयन प्रतियोगिता का आयोजन सत्संग भवन दूधाधारी मठ, रायपुर में किया गया । इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से चयनित लगभग 350 स्कूली बच्चों व शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री संजय शुक्ला, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग ने की एवं विशिष्ठ अतिथि के रूप में श्री के.सी. यादव संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर उपस्थित थे। श्री देवेन्द्र सिंह सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सम्पूर्ण कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन 29 अगस्त को प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत के मुख्य आतिथ्य एवं श्री एन.बैजेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिव,

ो बाल मेले एवं सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब के चयन की प्रतियोगिता

आवास एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। श्री संजय शुक्ला, सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग, एवं श्री देवेन्द्र सिंह सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पर्यावरण के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। 28 अगस्त को प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ साईंस सेंटर का भ्रमण कराया गया। जहां उन्हें विज्ञान के विभिन्न विशयों पर जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम में बच्चों के मध्य जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर भाषण, निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगितायें आयोजित की गई। सर्वश्रेश्ठ ईको क्लब का भी चयन किया गया। विजेताओं को आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत ने पुरस्कृत किया।

उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले ध्वनि यंत्रों तथा पटाखों की रोकथाम के संबंध में पर्यावरण विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश

पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री एन. बैजेन्द्र कुमार ने उच्च ध्वनि के पटाखे फोड़े जाने एवं इनसे होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सभी कलेक्टर व एस.पी. को कड़ा पत्र जारी किया है एवं निर्देशित किया है कि इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का अपने-अपने क्षेत्रों में पालन सुनिश्चित करें। श्री बैजेन्द्र कुमार ने निर्देशित किया है कि सभी कलेक्टर एवं एस.पी. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 5 अक्टूबर, 1999 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक 72/1998 में लाऊड स्पीकर एवं विभिन्न उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले ध्वनि यंत्रों तथा पटाखों की रोकथाम के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। श्री बैजेन्द्र कुमार ने अपने पत्र में कलेक्टर व एस.पी. को कहा है कि वे अपने जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पालन करायें तथा कार्यवाही सुनिश्चित करायें कि 4 मीटर की दूरी तय 125 डी.बी. या 145 डी.बी. {C-Weighted peak sound level dB (C) pk and the A-Weighted impulse level dB (AI)} से अधिक शोर करने वाले पटाखे प्रतिबंधित कर दिये जायें। पटाखों की लड़ियों के लिये मानक 5 लॉन (एन) डी.बी. है। जिसमें एन लड़ियों पर लगाये गये पटाखों की संख्या है।

श्री कुमार ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे न फोड़े जाएं। पटाखों को फोड़ने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसेः अस्पताल, शिक्षण संस्थायें, अदालत, धार्मिक संस्थायें आदि के कम से कम 100 मी. दूरी तक पटाखें न फोड़े जाये। सभी शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये पटाखों के दुष्प्रभावों से उन्हें अवगत करावें एवं विभिन्न जन जागरूकता अभियान बच्चों को शामिल करें। यह कार्य आप इको क्लब के स्कूली बच्चों के माध्यम से भी कर सकते है। श्री बैजेन्द्र कुमार ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को भी निर्देषित किया है कि वे दीपावली के पूर्व एवं दौरान ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का मापन कार्य कर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाये।

पिछले वर्ष एवं इस वर्ष दीपावली के दिन परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के तुलनात्मक परिणाम

Parameter	SO_2 (µg/m^3)		NO_2 (µg/m^3)		PM_{10} (µg/m^3)	
Date → / Location ↓	03/11/13	23/10/14	03/11/13	23/10/14	03/11/13	23/10/14
Near AIIMS Hospital Raipur	33	**23.24**	54	**34.82**	326	**246.24**
Shankar Nagar Raipur	31	**25.83**	63	**38.20**	323	**273.32**
National Ambient Air Quality Standards	80	**80**	80	**80**	100	**100**

नोट :– दीपावली के दिन वर्ष 2013 की अपेक्षा में वर्ष 2014 में रायपुर की वायु गुणवत्ता में प्रदूषण की मात्रा कम पायी गई।

मिट्टी की मूर्तियां ही करें स्थापित- पर्यावरण मंडल के निर्देश

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जलस्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंडल के अध्यक्ष एन. बैजेन्द्र कुमार ने जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा नगर पालिका निगमों के आयुक्तों को परिपत्र जारी कर केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन की जानकारी दी है और इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बताते हुए लोगों को जागरूक किया जाए कि मूर्तियॉ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाये जाये एवं इनमे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाए, ताकि अनके विसर्जन के समय जल प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो। मूर्तियां बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले के उपयोग को पूरी तरह हतोत्साहित किया जाए। मिट्टी से बनी मूर्तियों के विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पनन होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पनन होती है। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वसतुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाए तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाए। विसर्जन स्थल पर उपयोग किए हुए फूल, कपड़े, सजावट के सामान आदि जलाए न जाए। मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो। इसकी तैयारी पूर्व से ही कर ली जाये। विसर्जन स्थल पर सिंथेटिक लाइनर की व्यवस्था की जाये। मूर्तियों के विसर्जन के उपरांत लाइनर को विसर्जन स्थल से हटाया जाये, जिससे की मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात उनके अवशेष बाहर निकाले जा सके। इसी प्रकार बाँस और लकडियों का पुर्न उपयोग किया जाये एवं मूर्तियों की मिट्टी को भू-भराव के लिए उपयोग किया जाये।

मूर्तियों का विसर्जन तालाबों में किया जा रहा है, तो विसर्जन के लिए अस्थाई पॉड या बंड का निर्माण किया जा कर मूर्तियों का विसर्जन पॉड या बंड में किया जाये जिससे नदियों और तालाबों में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में रह सके। इसके लिए सभी विभाग जन-जागरूकता अभियान भी चलायें।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की आगामी 04 वर्षों की कार्ययोजना एवं लक्ष्य निर्धारण

मंडल के संगठनात्मक ढ़ाँचे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार

- बढ़ते औद्योगीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के दायित्वों को देखते हुए मंडल द्वारा 03 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है :-
  1. क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर-2
  2. क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चाम्पा
  3. क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव
- शासन द्वारा मंडल के लिए 317 पदों का नवीन सेटअप स्वीकृत किया गया है।
- सेवा भर्ती विनियम की स्वीकृति उपरांत भर्ती की कार्यवाही 06 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य।

मंडल की प्रयोगशालाओं का उन्नयन

मंडल द्वारा सभी 07 क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) मुंबई से सलाहकार सेवाएँ ली जा रही है। इस हेतु 09 सितम्बर 2014 को कार्यादेश जारी किया गया है। मंडल की सभी प्रयोगशालाओं का 02 वर्ष के भीतर उन्नयन करने का लक्ष्य है।

कोरबा में प्रदूषण की अद्यतन स्थिति के आंकलन के लिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का कार्य

मंडल द्वारा उक्त कार्य हेतु 17 अप्रैल 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर से अनुबंध किया गया है। मॉनिटरिंग कार्य प्रगति पर है। उक्त संस्था द्वारा मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट 09 माह की अवधि अर्थात् फरवरी 2015 तक प्रस्तुत की जावेगी।

रायपुर, रायगढ़, कोरबा एवं जांजगीर-चांपा में लोड कैरिंग केपेसिटी अध्ययन कार्य (Study of Load Carrying Capacity)

01 वर्ष के भीतर मंडल द्वारा ख्यातिनाम संस्थाओं से एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट (Expression of Interest) बुलाया जाकर, आगामी 05 वर्षों में रायपुर, रायगढ़, कोरबा एवं जांजगीर-चांपा में यह कार्य करने का लक्ष्य है। 29 सितम्बर 2014 को देश के ख्यातिनाम संस्थाएँ यथा नीरी, नागपुर, ईपीटीआई, हैदराबाद, आईआईटी आदि से एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट (Expression of Interest) बुलाने हेतु पत्र लिखा गया है।

राज्य के बड़े शहरों में कंटीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना एवं डाटा नेटवर्किंग का कार्य

वर्तमान में विभिन्न उद्योगों द्वारा 28 कंटीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये है। मंडल द्वारा नेटवर्किंग द्वारा विभिन्न स्टेशनों के परिणाम (डाटा) को मंडल मुख्यालय से संबद्ध किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे मंडल मुख्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण स्तर का आंकलन हो सकेगा। आगामी 01 वर्ष में यह कार्य करने का लक्ष्य है।

मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों को Continuous Real Time Emission Monitoring System 31 मार्च 2015 के पूर्व लगाने के लिए 03 माह के भीतर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस दिशा में कार्यवाही प्रगति पर है।

जल/वायु मॉनिटरिंग कार्य का विस्तार

वर्तमान में सीमित प्रचालकों (पैरामीटर्स) की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रयोगशालाओं के उन्नयन से प्रचालकों की संख्या में विस्तार होगा तथा मॉनिटरिंग कार्य का भी विस्तार होगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आगामी 01 वर्ष में मॉनिटरिंग कार्य में विस्तार करने का लक्ष्य है। मंडल द्वारा उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग भी की जाती है। साथ ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (नाम) के अंतर्गत् प्रदेश के 04 शहरों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा एवं भिलाई-दुर्ग में मॉनिटरिंग की जाती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय कर आगामी 01 वर्ष में राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में उक्त कार्यक्रम को लागू करने का लक्ष्य है।

कंटीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

खतरनाक अपशिष्टों / अन्य अपशिष्टों का सीमेंट किल्न में को-प्रोसेसिंग किया जाना

मंडल के इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के 03 प्रमुख सीमेंट उद्योगों द्वारा इस कार्य हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई है एवं 02 अन्य द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आगामी 02 वर्षों में अन्य क्षेत्र के उद्योगों जैसे पॉवर प्लांट, स्टील प्लांट में भी इस दिशा में कार्य करने का लक्ष्य है।

जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन / अपवहन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना

मंडल द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1998 के तहत् राज्य के 631 हेल्थ केयर फेसिलिटीज़ को प्राधिकार प्रदान किये गये हैं। राज्य के 04 प्रमुख स्थानों भिलाई-दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा एवं रायगढ़ में जीव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार की व्यवस्था की गई है। रायपुर में सिलतरा के समीप 01 नये संयुक्त उपचार व्यवस्था की स्थापना की जा रही है। इसका स्थापना कार्य अक्टूबर 2014 तक पूर्ण होना संभावित है।

अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2011 के कियान्वयन के संबंध में

नियमों के प्रावधानों के तहत् वर्तमान में पंजीकृत विनिर्माणकर्ता इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर 40 माईक्रान से अधिक मोटाई के कैरी बैग का निर्माण सुनिश्चित कराया जा रहा है। कैरी बैग के भंडारण एवं विक्रेताओं के यहाँ जाँच हेतु जिला स्तर पर अंतर्विभागीय समिति बनाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नगरीय निकाय एवं वाणिज्यकर विभाग आदि के प्रतिनिधि हैं। इस समिति द्वारा कैरी बैग के भंडारणकर्ताओं एवं विक्रेताओं के यहाँ समय-समय पर जाँच कर नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

फ्लाई एश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना

फ्लाई एश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत शासन के पर्यावरण

एवं वन मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2009 में संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के प्रावधानों के तहत् सभी ताप विद्युत गृहों को फ्लाई एश के उपयोग हेतु निर्देशित किया गया है एवं अधिसूचना में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मंडल द्वारा विभिन्न निर्माण एजेंसियों को फ्लाई एश आधारित उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये है।

ऑन लाईन कन्सेन्ट मैनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के संबंध में

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, रायपुर के सहयोग से "ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम" का विकास किया गया है, जिसके तहत् प्रदेश के उद्योगपतियों को मंडल से सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन आवेदन करने एवं आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा है। वर्तमान में इसमें लगभग 990 आवेदनों का पंजीयन किया जा चुका है तथा यह प्रकिया जारी है। 01 नवम्बर 2014 से सभी वृहद् एवं मध्यम उद्योगों से ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगें।

जन जागरूकता अभियान

मंडल द्वारा स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु राज्य के लगभग 6750 स्कूलों में इको क्लब गठित किये गये हैं। राज्य में 06 लाख स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आगामी वर्षों में इसमें और अधिक विस्तार किया जायेगा।

मंडल द्वारा प्रतिवर्ष 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितम्बर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 02 दिसम्बर प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस आदि का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर जन जागरूकता के संबंध में विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। आगामी 01 वर्ष के भीतर जन जागरूकता अभियान के विस्तार के लिए मीडिया प्लान बनाया जाकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से वृहद् रूप से प्रचार-प्रसार करने का लक्ष्य है।

कानून से नहीं जन जागरूकता से संरक्षण : मूणत

विश्व पर्यावरण दिवस

ग्लोबल वार्मिंग, क्लाईमेट चेंज पर प्रश्न पूछे बच्चों ने

मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में पर्यावरण विभाग ने जारी की गाइड लाइंस

रायपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिबनल, भोपाल द्वारा विसर्जन के संबंध में समय-समय पर दिये जा रहे निर्देशों के पालन हेतु राज्य के पर्यावरण विभाग ने सभी मूर्ति विसर्जन के संबंध में निर्देश जारी किये है। पर्यावरण विभाग के सचिव एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, एन. बैजेन्द्र कुमार ने सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों एवं सभी नगर निगम आयुक्तों को एक पत्र लिखकर मूर्ति विसर्जन के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये हैं।

अपवहन उचित तरीके से किया जाये। विसर्जन स्थल पर उपयोग किये हुए फूल, कपड़े, सजावट के सामान इत्यादि न जलाये जायें यह सुनिश्चित करें। मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबंदी व सुरक्षा की व्यवस्था हो।

मिट्टी को भू-भराव इत्यादि में उपयोग किया जावे। मूर्ति विसर्जन नदी और तालाब में किया जा रहा है तो विसर्जन के लिये अस्थायी पौंड/बन्ड का निर्माण किया जाकर मूर्ति का विसर्जन पौंड/बन्ड में किये जाने के लिये पूर्व में तैयारियां की जावे। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की ...

CECB holds open interaction prog

Raipur, Jun 06: Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) organised an open interaction programme to mark the World Environment Day at the new circuit house on Thursday. The school and college students participated in the ... said that at present the effects of global warming has not impacted State of Chhattisgarh as other states. The global warming has also affected the bio-diversity of the oceans. Students ... registered participation ... Dantewada, ...

पर्यावरण संरक्षण जन जागरूकता से ही संभव- मूणत

विश्व पर्यावरण दिवस पर खुला मंच व परिसंवाद कार्यक्रम

पर्यावरण संरक्षण के संस्कार बचपन से दें : मूणत

सफाई व्यवस्था में जनभागीदारी आवश्यक : शुक्ला

- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित
- नगरीय निकायों के ढाई सौ से ज्यादा प्रतिनिधि हुए शामिल

शहर साफ चाहिए है? पॉलिथीन बैन करें

रायपुर. शहर को स्वच्छ रखने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है और इसके लिए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि हम आंख मूंदकर सड़क पर अपने घरों का कचरा फेंकते रहेंगे तो ...

करेंगे। उनका मानना है कि तक नगरीय ठोस अपशिष्ट ... में जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, हम नियम को सही से क्रियान्वित नहीं कर पा... उन्होंने कहा कि 40 माइक्रॉन कम पॉलिथीन के कैरी बैग्स उपयोग उसका निर्माण एवं ...

'Necessary steps should be taken to curb coming climatic hazard'

रायपुर, शनिवार, 30 अगस्त 2014 | रायपुर | हरिभूमि 19

बच्चों में विकसित करें पर्यावरण रक्षा के संस्कार: मूणत

पर्यावरण की सुरक्षा जनसहभागिता से संभव

Environmental conservation a social, moral duty of every citizen: Munat

Student raising question to the panel of ... interaction session organised by Chhattisgarh Conservation Board to mark the occasion of ...

पीओपी नहीं, मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करें

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जल प्रदूषण रोकने दिए निर्देश

प्रतिमाओं के विसर्जन से पानी प्रदूषित होता है. परिपत्र में कहा गया है कि मूर्ति...

मिट्टी की मूर्तियां ही स्थापित की जाएं

मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के संबंध में गाइड लाइन जारी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए

इको बाल मेला में आए बच्चों ने देखा छत्तीसगढ़ विज्ञान केन्द्र

- तीन दिवसीय ईको बाल मेले का आज होगा समापन
- आवास एवं पर्यावरण मंत्री ...

ओजोन परत संरक्षण दिवस पर विज्ञान महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं

'Create environment protected culture from childhood'

संरक्षक एवं अध्यक्ष
एन. बैजेन्द्र कुमार
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

संपादक
देवेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

संयोजन
अमर प्रकाश सावंत, जनसम्पर्क अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

प्रकाशक : पर्यावरण सूचना केंद्र, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)
आकल्पन एवं मुद्रण : इम्प्रेसिव एडवर्टाइजिंग सर्विस, रायपुर